न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 01/2025

आसीन उर्फ यासिन पुत्र नन्दा जाति पिनारा निवासी हमीरपुर सदर आम मदरसा इस्लामिया, हमीरपुर, तहसील व जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव अल्प सख्यंक कल्याण अधिकारी टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 16.01.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव अल्प सख्यंक कल्याण अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

राजस्थान बोर्ड आफॅ मुस्लिम वक्फस ज्योति नगर द्वारा जारी पत्र कमांक 4406 दिनांक 14.09.2022 जो जिला कलेक्टर टोंक व आपके कार्यालय को प्राप्त हुआ था जिस पर आप द्वारा जो भी कार्यवाही हुई उसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां दिलाये।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव अल्प सख्यंक कल्याण अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 09 दिनाक 1.01.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव अल्प सख्यंक कल्याण अधिकारी टोंक ने पत्र कमांक 1652 दिनांक 10.01.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 1370 दिनांक 18.11.2024 व 1650 दिनांक 09.01.2025 से सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव अल्प सख्यंक कल्याण अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
राजस्थान